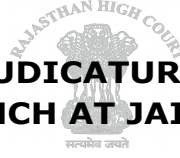




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3754/2025

1. Smt. Mamta Devi W/o Badri Lal, Aged About 40 Years, R/o Rasulpura, Post Lavadar, Tehsil & District Tonk (Raj.).
2. Jaipal S/o Badri Lal, Aged About 19 Years, R/o Rasulpura, Post Lavadar, Tehsil & District Tonk (Raj.).
3. Monu S/o Badri Lal, Aged About 17 Years, Minor Represented Through Natural Guardian Mother Mamta Devi W/o Badri Lal R/o Rasulpura, Post Lavadar, Tehsil & District Tonk (Raj.).

----Claimants/Appellants

Versus

1. Aazad Khan Pathan S/o Anwar Khan Pathan, R/o Tejaji Chowk Road Kumbhanagar, Chittorgarh (Raj.).
...Driver Of Truck No. RJ09-GB-6057
2. Imran Khan S/o Mohammad Iqbal Khan, R/o 14 D, Transport Nagar, Pratap Nagar, Ashok Nagar, Udaipur, District Udaipur (Raj.).
....Owner Of Truck No. RJ09-GB-6057
3. The New India Insurance Company Ltd., Office Dharma Heights 10 Motilal Atal Road, M.I. Road, Jaipur.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Amit Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Rajeev Bhushan Bansal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-416/2023, श्रीमती ममता देवी व अन्य बनाम आजाद खान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 (जिसे आगे



‘आक्षेपित निर्णय’ के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **बद्रीलाल** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,44,40,000 /— रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **11,21,400 /— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **07 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 7,410 /— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 12.03.2023 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक बद्रीलाल को खेतीबाड़ी व पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 20,000 /— रुपये की आय अर्जित करना



अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 7,410/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मृतक की दैनिक आय 285/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $285 \times 30 = 8,550/—$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझता है। वक्त घटना मृतक को 44 वर्ष आयु का होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 25 प्रतिशत अर्थात् 2,137/— रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक की कुल मासिक आय 10,687/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल 03 आश्रित बताये गये हैं। विद्वान अधिकरण मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गयी है जो उचित प्रतीत होती है। तदनुसार 10,687/— रुपये का 1/3 भाग 3,562/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 7,125/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 44 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 14 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।



8. तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 7,125/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 7,125 x 12 x 14 = 11,97,000/- रुपये** होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
9. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 48,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।
10. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।
11. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2023 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को "स्पाउस कंसोर्टियम" की मद में 48,000/- रुपये तथा मृतक के पुत्रों अपीलार्थी संख्या- 2 व 3 प्रत्येक को "पैरेंटल कंसोर्टियम" की मद में 48,000/- रुपये (कुल 1,44,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000 /— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	11,97,000 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,44,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		13,77,000 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		11,21,400 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		2,55,600 /—

14. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **11,21,400 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **13,77,000 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J